सत्यमेव जयते

प्रशासन गाँवों/शहरों के संग अभियान– 2021

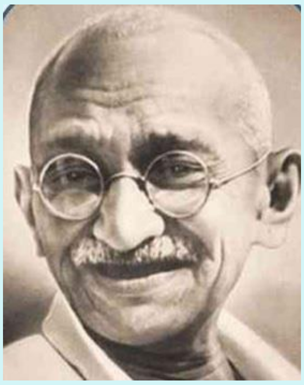

(2 अक्टूबर, 2021)

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

की

प्रमुख योजनाओं

का

परिचय एवं पात्रता	देय लाभ	आवेदन प्रक्रिया	आवश्यक दस्तावेज

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

Contents

1. सामाजिक सुरक्षा पेंशन 2

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना 2

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना 3

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्त पेंशन योजना 4

मुख्यमंत्री एकलनारी सम्मान पेंशन योजना 5

मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना 6

मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना 7

2. उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाऐं 9

उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति: अनुसूचित जाति/ जनजाति/ अति पिछड़ा वर्ग 9

उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति-अन्य पिछड़ा वर्ग 11

डॉ. अम्बेडकर आर्थिक पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना 12

डॉ. अम्बेडकर विमुक्त, घुमन्तु तथा अर्द्ध-घुमन्तु (DNTs) उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना 13

मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना 14

3. पालनहार योजना 16

4. यूनिक डिसएबिलिटी आई.डी. कार्ड योजना 18

5. राजस्थान न्यूमोकोनोसिस (सिलिकोसिस) नीति, 2019 19

6. मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना 20

मुख्यमंत्री कोरोना बाल सहायता (अनाथ बालक/बालिका हेतु) 21

मुख्यमंत्री कोरोना विधवा सहायता (विधवा महिला हेतु) 21

मुख्यमंत्री कोरोना पालनहार सहायता (विधवा महिला के बालक/बालिका हेतु) 21

7. मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना 23

8. अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना 2021 24

9. मुख्यमंत्री कन्यादान योजना 26

10. मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना 28

Back to Index

1. सामाजिक सुरक्षा पेंशन

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना

पात्रता

इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार के मापदण्डों के अनुरूप सूचीबद्ध बी.पी.एल. परिवार के 60 वर्ष व अधिक आयु के व्यक्तियों को पेंशन देय है।

पेंशन दर

1. 75 वर्ष से कम आयु के पेंशनर को रू.750/- प्रतिमाह एवं
2. 75 वर्ष व अधिक आयु के पेंशनर रू. 1000/ प्रतिमाह पेंशन देय है।

आवश्यक दस्तावेज

1. जनआधार कार्ड संख्या एवं आधारकार्ड संख्या।

जनआधार कार्ड हेतु आवश्यक दस्तावेज

1.आधारकार्ड	2.जन्मप्रमाण पत्र	3.राशनकार्ड
4.मूल निवास प्रमाण पत्र	5.बैंक खाता विवरण	6.आवेदक- पासपोर्ट साईज फोटो
7. आय घोषणा पत्र		

आवेदन का तरीका

आवेदन हेतु SSO पर लॉग इन के पश्चात rajssp पर आवेदन करे अथवा ई-मित्र द्वारा विभागीय वेबसाइट के माध्यम से भी आवेदन किया जा सकता हैं।

Back to Index

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना

पात्रता

इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार के मापदण्डों के अनुरूप सूचीबद्ध बी.पी.एल. परिवार की 40 वर्ष व अधिक की आयु की विधवा महिलाएं पेंशन की पात्र हैं।

देय पेंशन

1 40 वर्ष से अधिक किन्तु 55 वर्ष से कम आयु की पेंशनर्स को 500/- रूपए प्रतिमाह

2 55 वर्ष व अधिक किन्तु 60 वर्ष से कम आयु की पेंशनर को 750/- रूपए प्रतिमाह

3 60 वर्ष से अधिक किन्तु 75 वर्ष से कम आयु की पेंशनर को 1000/- रूपए प्रतिमाह एवं

4 75 वर्ष व अधिक आयु की पेंशनर को 1500 / - रूपए प्रतिमाह पेंशन देय हैं।

आवश्यक दस्तावेज

1 जनआधार कार्ड संख्या एवं आधारकार्ड संख्या।

जनआधार कार्ड हेतु आवश्यक दस्तावेज

1.आधारकार्ड	2.जन्मप्रमाण पत्र	3.राशनकार्ड
4.मूल निवास प्रमाण पत्र	5.बैंक खाता विवरण	6.आवेदक- पासपोर्ट साईज फोटो
7. आय घोषणा पत्र	8. विधवा पेंशन हेतु पति का मृत्यु प्रमाण-पत्र	

आवेदन का तरीका

आवेदन हेतु SSO पर लॉग इन के पश्चात rajssp पर आवेदन करे अथवा ई-मित्र द्वारा विभागीय वेबसाइट के माध्यम से भी आवेदन किया जा सकता हैं।

Back to Index

इंदिरा गांधी राष्ट्रीय नि:शक्त पेंशन योजना

पात्रता

इस योजना के अन्तर्गत भारत सरकार के मापदण्डों के अनुरूप सूचीबद्ध बी. पी. एल. परिवार के वे व्यक्ति जो बहु नि:शक्तता या गुरुत्तर नि:शक्तता से ग्रसित हैं और जिनकी आयु 18 वर्ष व अधिक है, पेंशन के पात्र हैं। निम्न 8 श्रेणियों में आने वाले नि:शक्तजनों को पात्र माना जायेगा।

1. अंधता
2. कम दृष्टि
3. कुष्ट रोग मुक्त
4. श्रवण शक्तिहास
5. चलन नि:शक्तता
6. मानसिक मंदता
7. मानसिक रुग्णता
8. बौनापन

पेंशन दर:

1. 18 वर्ष व अधिक आयु के व 55 वर्ष से कम आयु की महिला एवं 58 वर्ष से कम आयु के पुरुष पेंशनर को रू. 750/- प्रतिमाह
2. 55 वर्ष व अधिक की महिला तथा 58 वर्ष व अधिक के पुरूष किन्तु 75 वर्ष से कम आयु के पेंशनर को रू. 1000/- प्रतिमाह
3. 75 वर्ष व अधिक आयु के पेंशनर को रू. 1250/- प्रतिमाह पेंशन देय है
4. 18 वर्ष व अधिक आयु के कुष्ठ रोग मुक्त विशेष योग्यजन व्यक्ति को रु.1500/- प्रतिमाह पेंशन देय है,

आवश्यक दस्तावेज

1. जनआधार कार्ड संख्या एवं आधारकार्ड संख्या।

जनआधार कार्ड हेतु आवश्यक दस्तावेज

1.आधारकार्ड
2.जन्मप्रमाण पत्र
3.राशनकार्ड
4.मूल निवास प्रमाण पत्र
5.बैंक खाता विवरण
6.आवेदक- पासपोर्ट साईज फोटो
7. आय घोषणा पत्र
8. विशेष योग्यजन पेंशन हेतु चिकित्सक द्वारा जारी प्रमाण-पत्र।

आवेदन का तरीका

आवेदन हेतु SSO पर लॉग इन के पश्चात rajssp पर आवेदन करे अथवा ई-मित्र द्वारा विभागीय वेबसाइट के माध्यम से भी आवेदन किया जा सकता हैं।

Back to Index

मुख्यमंत्री एकलनारी सम्मान पेंशन योजना

☑ पात्रता

1 राज्य की मूल निवासी 18 वर्ष या अधिक आयु की विधवा/परित्यक्ता/तलाकशुदा महिला, जिसके जीवन निर्वाह हेतु स्वयं की नियमित आय का कोई स्त्रोत नहीं हो अथवा

2 समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय रूपये 48000/- से कम हो।

नोटः यदि प्रार्थी स्वयं या उसका पुत्र केन्द्र सरकार/अन्य राज्य सरकार/राज्य सरकार/राजकीय उपक्रम में सेवारत हो या केन्द्र सरकार/अन्य राज्य सरकार/राज्य सरकार/राजकीय उपक्रम का पेंशनर हो, तो वह इन नियमों के अन्तर्गत पेंशन प्राप्त करने का पात्र नहीं होगा।

▼ देय पेंशन

→ 18 वर्ष से 55 वर्ष तक की आयु पर 500 रूपये,

→ 55 से 60 वर्ष तक 750 रूपये,

→ 60 से 75 वर्ष तक 1000 रूपये एवं

→ 75 वर्ष से अधिक आयु होने पर 1500 रूपये प्रतिमाह पेंशन।

आवश्यक दस्तावेज

1 जनआधार कार्ड संख्या एवं आधारकार्ड संख्या।

जनआधार कार्ड हेतु आवश्यक दस्तावेज

1.आधारकार्ड	2.जन्मप्रमाण पत्र	3.राशनकार्ड
4.मूल निवास प्रमाण पत्र	5.बैंक खाता विवरण	6.आवेदक- पासपोर्ट साईज फोटो
7. आय घोषणा पत्र	8. विधवा पेंशन हेतु पति का मृत्यु प्रमाण-पत्र	

9. तलाकशुद्धा महिला पेंशन हेतु न्यायालय द्वारा जारी प्रमाण-पत्र।

10. परित्यक्ता महिला पेंशन हेतु उपखण्ड अधिकारी/विकास अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण-पत्र।

आवेदन का तरीका

आवेदन हेतु SSO पर लॉग इन के पश्चात rajssp पर आवेदन करे अथवा ई-मित्र द्वारा विभागीय वेबसाइट के माध्यम से भी आवेदन किया जा सकता हैं।

Back to Index

मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन योजना

पात्रता

1 55 वर्ष या इससे अधिक आयु की महिला तथा 58 वर्ष या इससे अधिक आयु का पुरूष जो राजस्थान का मूल निवासी हो तथा राजस्थान में रह रहा हो,

2 एवं जिसके जीवन निर्वाह हेतु स्वयं एवं पत्नी/पति की नियमित आय का स्त्रोत नहीं हो, अथवा

3 प्रार्थी एवं पत्नी/पति की समस्त स्त्रोतों से कुल वार्षिक आय रूपये 48000/- से कम हो।

Ⓜ विशेष: बी.पी.एल./अंत्योदय/ आस्थाकार्डधारी परिवार/सहरिया/कथौड़ी, खैरवा जाति के व्यक्तियों को आय संबंधी शर्त से छूट प्रदान की गई है।

नोटः यदि प्रार्थी स्वयं या उसका पुत्र केन्द्र सरकार/अन्य राज्य सरकार/राज्य सरकार/राजकीय उपक्रम में सेवारत हो या केन्द्र सरकार/अन्य राज्य सरकार/राज्य सरकार/राजकीय उपक्रम का पेंशनर हो, तो वह इन नियमों के अन्तर्गत पेंशन प्राप्त करने का पात्र नहीं होगा।

देय पेंशन

A 75 वर्ष से कम आयु होने पर 750 रूपये,

B 75 वर्ष एवं अधिक आयु होने पर 1000 रूपये प्रतिमाह।

आवश्यक दस्तावेज

1 जनआधार कार्ड संख्या एवं आधारकार्ड संख्या।

जनआधार कार्ड हेतु आवश्यक दस्तावेज

1.आधारकार्ड
2.जन्मप्रमाण पत्र
3.राशनकार्ड
4.मूल निवास प्रमाण पत्र
5.बैंक खाता विवरण
6.आवेदक- पासपोर्ट साईज फोटो
7. आय घोषणा पत्र

आवेदन का तरीका

आवेदन हेतु SSO पर लॉग इन के पश्चात rajssp पर आवेदन करे अथवा ई-मित्र द्वारा विभागीय वेबसाइट के माध्यम से भी आवेदन किया जा सकता हैं।

Back to Index

मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना

पात्रता

- किसी भी आयु वर्ग का विशेष योग्यजन व्यक्ति जो अंधता, अल्पदृष्टि, चलन निःशक्तता, कुष्ठ रोग मुक्त, श्रवण शक्ति का ह्रास, मानसिक मंदता, मानसिक रोगी में से किसी एक
- अथवा अधिक विकलांगता (40 प्रतिशत एवं अधिक विकलांगता) से ग्रसित हो,
- प्राकृतिक रूप से बौनेपन (वयस्क व्यक्ति के मामलों में ऊँचाई 3 फीट 6 इंच से कम हो एवं प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी के द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र धारक हो) से ग्रसित हो
- तथा प्राकृतिक रूप से हिजड़ेपन से ग्रसित हो,
- जो राजस्थान का मूल निवासी हो तथा राजस्थान में रह रहा हो,
- एवं जिसकी स्वयं की सम्मिलित वार्षिक आय (समस्त स्त्रोतों से) रूपये 60000/- तक हो, इसके तहत पेंशन का पात्र होगा।

नोट: बी.पी.एल./अन्त्योदय/आस्थाकार्डधारी परिवार/सहरिया/कथौड़ी खैरवा जाति के विशेष योग्यजन को आय संबंधी शर्त में छूट प्रदान की गई है।

पेंशन दर:-

1. 55 वर्ष से कम आयु की महिला एवं 58 वर्ष से कम आयु के पुरूष पेंशन को रू. 750/- प्रतिमाह।
2. 55 वर्ष व अधिक की महिला एवं 58 वर्ष व अधिक के पुरूष किन्तु 75 वर्ष से कम आयु के पेंशनर को रूपये 1000/- प्रतिमाह।
3. एवं 75 वर्ष से अधिक आयु के पेंशनर को रूपये 1250/- प्रतिमाह।
4. किसी भी आयु के कुष्ठ रोग मुक्त विशेष योग्यजन पेंशनर एवं सिलिकॉसिस बीमारी से पीडित व्यक्ति को रूपये 1500/- प्रतिमाह पेंशन देय। जिसकी सम्पूर्ण राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है।

Back to Index

Ⓜ नोट :- यदि प्रार्थी स्वयं या पति या पत्नि या पुत्र केन्द्र सरकार/अन्य राज्य सरकार / राज्य सरकार /राज्य सरकार / राजकीय उपक्रम में सेवारत हो या केन्द्र सरकार / अन्य राज्य सरकार / राज्य सरकार / राजकीय उपक्रम का पेंशनर हो, तो वह इन नियमों के अन्तर्गत पेंशन प्राप्त करने की पात्र नहीं होगा।

📝 आवश्यक दस्तावेज 📝

1 जनआधार कार्ड संख्या एवं आधारकार्ड संख्या।

जनआधार कार्ड हेतु आवश्यक दस्तावेज

1.आधारकार्ड
2.जन्मप्रमाण पत्र
3.राशनकार्ड
4.मूल निवास प्रमाण पत्र
5.बैंक खाता विवरण
6.आवेदक- पासपोर्ट साईज फोटो
7. आय घोषणा पत्र
8. विशेष योग्यजन पेंशन हेतु चिकित्सक द्वारा जारी प्रमाण-पत्र।

📢 आवेदन का तरीका 📢

🖱 आवेदन हेतु SSO पर लॉग इन के पश्चात rajssp पर आवेदन करे अथवा ई-मित्र द्वारा विभागीय वेबसाइट के माध्यम से भी आवेदन किया जा सकता हैं।

Back to Index

2. उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाऐं

राजस्थान राज्य के मूल निवासियों के लिए सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा निम्नलिखित उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाऐं संचालित की जा रही हैं। जिससे मैट्रिकोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्राप्त हो सके।

1 अनुसूचित जाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना

2 अनुसूचित जनजाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति छात्रवृत्ति योजना

3 अति पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति छात्रवृत्ति योजना (पूर्व में विशेष पिछड़ा वर्ग)

4 अन्य पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना

5 आर्थिक पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना

6 विमुक्त, घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु जाति उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना

7 मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना

क्रम संख्या 1, 2 एवम 3 पर अंकित योजना का विवरण निम्न प्रकार है —

☞ उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति: अनुसूचित जाति/ जनजाति/अति पिछड़ा वर्ग ☜

उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति — अनुसूचित जाति/ जनजाति हेतु पात्रता,देय लाभ, आवेदन प्रक्रिया आदि निम्न प्रकार है :—

* पात्रता *

1 छात्र छात्रा के माता-पिता / संरक्षक की वार्षिक आय रूपये 2.50 लाख तक हो।

2 छात्र छात्रा राजकीय / मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम अन्तर्गत नियमित अध्ययनरत हो।

3 छात्र-छात्रा अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति / अति पिछड़ा वर्ग का हो।

4 छात्र छात्रा राजस्थान का मूल निवासी हो।

दस्तावेज :

Back to Index

1 जनआधार कार्ड संख्या (भामाशाह आई डी)

2 आधार कार्ड

3 मूल निवास प्रमाण पत्र

4 आय घोषणा पत्र

5 फीस की रसीद

6 अन्तिम उत्तीर्ण परीक्षा की अंक तालिका

नोट:- विद्यार्थी की जाति एवं अन्य विवरण की सूचना भामाशाह पोर्टल के माध्यम से छात्रवृत्ति पोर्टल पर ली जाती है।

‼ देय लाभ :

इस योजना में नियमानुसार नॉन रिफण्डेबल फीस एवं अनुरक्षण भत्ते को शामिल कर छात्रवृत्ति के रूप में दिया जाता है।

📢 आवेदन का तरीका 📢

🖱 आवेदन हेतु SSO पर लॉग इन के पश्चात Scholarship SJE पर आवेदन करे अथवा ई-मित्र द्वारा विभागीय वेबसाइट के माध्यम से भी आवेदन किया जा सकता हैं।

Back to Index

उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति-अन्य पिछड़ा वर्ग

पात्रता

1 छात्रा के माता-पिता / संरक्षक की वार्षिक आय रूपये 1.50 लाख तक हो।

2 छात्र-छात्रा राजकीय / मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम अन्तर्गत नियमित अध्ययनरत।

3 छात्र छात्रा अन्य पिछड़ा वर्ग का हो। 4 छात्र-छात्रा राजस्थान का मूल निवासी हो।

5 छात्र-छात्रा विभाग द्वारा निर्धारित अन्य पिछड़ा वर्ग की 17 श्रेणियों से संबंधित हो :

1. बी.पी.एल. कार्ड धारक की पुत्री
2. बी.पी.एल. कार्ड धारक का पुत्र
3. अन्त्योदय कार्ड धारक की पुत्री
4. अन्त्योदय कार्ड धारक का पुत्र
5. स्टेट बी.पी.एल. कार्ड धारक की पुत्री
6. स्टेट बी. पी. एल. कार्ड धारक का पुत्र
7. अनाथ बालिका
8. अनाथ बालक
9. विधवा स्वयं
10. विधवा की पुत्री
11. विधवा का पुत्र
12. तलाकशुदा महिला स्वयं
13. तलाकशुदा महिला की पुत्री
14. तलाकशुदा महिला का पुत्र
15. विशेष योग्यजन स्वयं
16. विशेष योग्यजन की पुत्री
17. विशेष योग्यजन का पुत्र

दस्तावेज :

1 भामाशाह आई.डी. 2 आधार कार्ड 3 मूल निवास प्रमाण पत्र 4 आय घोषणा पत्र

5 फीस की रसीद 6 अन्तिम उत्तीर्ण परीक्षा की अंक तालिका (वर्ष 2019-20 से न्यूनतम 60 प्रतिशत प्राप्तांक वाले विद्यार्थी ही आवेदन करने के पात्र है) 7 जाति प्रमाण पत्र

देय लाभ :

योजना में नियमानुसार नॉन रिफण्डेबल फीस एवं अनुरक्षण भत्ते को शामिल कर छात्रवृत्ति के रूप में।

आवेदन का तरीका

आवेदन हेतु SSO पर लॉग इन के पश्चात Scholarship SJE पर आवेदन करे अथवा ई-मित्र द्वारा विभागीय वेबसाइट के माध्यम से भी आवेदन किया जा सकता हैं।

Back to Index

❁डॉ. अम्बेडकर आर्थिक पिछड़ा वर्ग उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना❁

पात्रता

1 छात्र-छात्रा के माता-पिता / संरक्षक की वार्षिक आय रूपये 1 लाख तक हो।

2 छात्र-छात्रा राजकीय शिक्षण संस्थान में मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम अन्तर्गतः नियमित अध्ययनरत हो।

3 छात्र-छात्रा आर्थिक पिछड़ा वर्ग (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा विशेष पिछड़ा वर्ग के अतिरिक्त) सामान्य श्रेणी का हो।

4 छात्र-छात्रा राजस्थान का मूल निवासी हो।

दस्तावेज :

1. जनआधार कार्ड संख्या (भामाशाह आई डी)
2. मूल निवास प्रमाण पत्र
3. फीस की रसीद
4. आधार कार्ड
5. आय घोषणा पत्र
6. अन्तिम उत्तीर्ण परीक्षा की अंक तालिका

देय लाभ :

इस योजना में नियमानुसार नॉन रिफण्डेबल फीस एवं अनुरक्षण भत्ते को शामिल कर छात्रवृत्ति के रूप में दिया जाता है।

आवेदन का तरीका

आवेदन हेतु SSO पर लॉग इन के पश्चात Scholarship SJE पर आवेदन करे अथवा ई-मित्र द्वारा विभागीय वेबसाइट के माध्यम से भी आवेदन किया जा सकता हैं।

Back to Index

डॉ. अम्बेडकर विमुक्त, घुमन्तु तथा अर्द्ध-घुमन्तु (DNTs) उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना

पात्रता

1. छात्र छात्रा के माता-पिता / संरक्षक की वार्षिक आय रूपये 2.00 लाख से कम हो।
2. छात्र छात्रा राजकीय / मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थान में मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम अन्तर्गत नियमित अध्ययनरत हो।
3. छात्र-छात्रा उक्त वर्ग (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग में शामिल जातियों को छोड़कर) का हो
4. छात्र छात्रा राजस्थान का मूल निवासी हो।

दस्तावेज

1. जनआधार कार्ड संख्या (भामाशाह आई डी)
2. आधार कार्ड
3. मूल निवास प्रमाण पत्र
4. आय घोषणा पत्र
5. फीस की रसीद
6. अन्तिम उत्तीर्ण परीक्षा की अंक तालिका

देय लाभ :

इस योजना में केवल अनुरक्षण भत्ता छात्रवृत्ति के रूप में दिया जाता है।

आवेदन का तरीका

आवेदन हेतु SSO पर लॉग इन के पश्चात Scholarship SJE पर आवेदन करे अथवा ई-मित्र द्वारा विभागीय वेबसाइट के माध्यम से भी आवेदन किया जा सकता हैं।

मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना

पात्रता

1. छात्र-छात्रा के माता-पिता / संरक्षक की वार्षिक आय रूपये 5.00 लाख से कम हो। छात्र छात्रा विभाग द्वारा सूचीबद्ध राष्ट्रीय स्तर की शिक्षण संस्थाओं में

2. संचालित पाठ्यक्रम अन्तर्गत नियमित अध्ययनरत हो।

3 छात्र-छात्रा किसी भी वर्ग/ जाति से हो। छात्र-छात्रा राजस्थान का मूल निवासी हो।

विद्यार्थियों को शिक्षण संस्था द्वारा ली जाने वाली अनिवार्य अप्रतिदेय शुल्क / फीस राशि की आधी अर्थात 50 प्रतिशत फीस राशि का ही पुनर्भरण किया जाता है।

दस्तावेज :

1. जनआधार कार्ड संख्या (भामाशाह आई डी)
2. मूल निवास प्रमाण पत्र
3. फीस की रसीद
4. आधार कार्ड
5. आय घोषणा पत्र
6. अन्तिम उत्तीर्ण परीक्षा की अंक तालिका

देय लाभ :

अनुरक्षण भत्ते (Maintenance Allowance) की दरें निम्न प्रकार निर्धारित हैं:

Back to Index

फीस दरें

ग्रुप	कोर्स (यह कोर्स केवल उदारणार्थ, विस्तृत कोर्स नियमावली में उपलब्ध है)	SC/ST/SBC/DNTs		OBC/EBC		CMSS (मुख्यमंत्री सर्वजन उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना)
		छात्रावासी	गैर छात्रावासी	छात्रावासी	गैर छात्रावासी	
A	IIT AIIMS, MBBS, P.G., C.A., CS, M.Phil, Ph.D, D.Litt., LL.M., etc.	1200	550	750	350	योजना के साथ संलग्न सूची में वर्णित शिक्षण संस्थाओं में अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों को शिक्षण संस्था द्वारा ली जाने वाली अनिवार्य अप्रतिदेय शुल्क / फीस राशि की आधी अर्थात 50 प्रतिशत फीस राशि का ही पुनर्भरण किया जावेगा। अनुरक्षण भत्ता एवं प्रतिदेय शुल्क / फीस राशि का पुनर्भरण नहीं किया जावेगा।
B	B.Pharma, Nursing, LL.B., M.Ed., M.A., M.Sc., M.Com., M.Pharma Diploma etc.	820	530	510	335	
C	B.A., B.Sc., B.Com.	570	300	400	210	
D	ITI. Polytechnic Diploma Class XI and XIIth	380	230	260	160	

आवेदन

आवेदन हेतु SSO पर लॉग इन के पश्चात Scholarship SJE पर आवेदन करे अथवा ई-मित्र द्वारा विभागीय वेबसाइट के माध्यम से भी आवेदन किया जा सकता हैं।

Back to Index

3. पालनहार योजना

उददेश्य

अनाथ बच्चों के पालन पोषण शिक्षा आदि की व्यवस्था संस्थागत नहीं की जाकर समाज के भीतर ही बच्चे के निकटतम रिश्तेदार / परिचित व्यक्ति / वयस्क भाई अथवा बहिन को पालनहार बनाकर राज्य की ओर से आर्थिक सहायता देना. इस प्रकार राज्य सरकार द्वारा संचालित यह योजना सम्पूर्ण भारतपवर्ष में अनूठी व अनुकरणीय है:

1. अनाथ बच्चे
2. मृत्युदण्ड आजीवन कारावास प्राप्त माता-पिता अथवा माता-पिता दोनों में से एक की मृत्यु हो चुकी हो व दूसरे को मृत्युदण्ड या आजीवन कारावास की सजा हो चुकी हो के बच्चे।
3. निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा माता के तीन बच्चे।
4. पुनर्विवाहित विधवा माता के बच्चे।
5. एच.आई.वी. / एड्स पीडित माता / पिता के बच्चे।
6. कुष्ठ रोग से पीड़ित माता/पिता के बच्चे।
7. नाता जाने वाली माता के तीन बच्चे।
8. विशेष योग्यजन माता पिता के बच्चे।
9. तलाकशुदा / परित्यक्ता महिला के बच्चे।

देय लाभ :

1. 0-6 आयु वर्ग के बच्चे हेतु 500 रूपये प्रतिमाह (आंगनबाड़ी जाना अनिवार्य)

2. 6–18 आयु वर्ग के बच्चे हेतु - 1000 रूपये प्रतिमाह (विद्यालय जाना अनिवार्य)

3. वस्त्र, स्वेटर, जूते आदि हेतु 2000 रूपये वार्षिक अतिरिक्त एकमुश्त देय (विधवा पालनहार व नाता पालनहार में देय नहीं)

शर्ते :-

1. पालनहार परिवार की वार्षिक आय 1.20 लाख रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।

Back to Index

2 बच्चे की अधिकतम आयु 18 वर्ष से कम होनी चाहिए।

3. पालनहार एवं बच्चे राजस्थान राज्य के मूलनिवासी हो अथवा आवेदन की तिथि से कम से कम 3 वर्ष की अवधि से राजस्थान राज्य में रह रहे हो।

📝 दस्तावेज 📝

जनआधार कार्ड संख्या (भामाशाह आई डी) के अतिरिक्त -

1 अनाथ बच्चों के प्रकरण में माता-पिता के मृत्यु प्रमाण पत्र की प्रति।

2 मृत्युदण्ड / आजीवन कारावास प्राप्त माता-पिता के बच्चों के प्रकरण में दण्डादेश की प्रति।

3 निराश्रित पेंशन की पात्र विधवा माता के बच्चों के प्रकरण में सामाजिक सुरक्षा पेंशन भुगतान आदेश (पी.पी.ओ. आदेश)

4 पुनर्विवाहित विधवा माता के बच्चों के प्रकरण में विधवा माता के पुनर्विवाह करने के प्रमाण पत्र की प्रति।

5 एच.आई.वी. / एड्स पीड़ित माता / पिता के बच्चों के प्रकरण में ए. आर. टी. सेन्टर द्वारा जारी ए. आर. डी. डायरी (ग्रीन डायरी) की प्रति।

6 कुष्ठ रोग से पीडित माता / पिता के बच्चों के प्रकरण में सक्षम बोर्ड द्वारा जारी किये गये चिकित्सा प्रमाण पत्र की प्रति।

7 नाता जाने वाली माता के बच्चों के प्रकरण में माता को नाता गये हुए एक वर्ष से अधिक समय होने का प्रमाण पत्र की प्रति

8 विशेष योग्यजन माता / पिता के बच्चों के प्रकरण में सक्षम बोर्ड द्वारा जारी किये गये 40% या अधिक निःशक्तता के प्रमाण पत्र की प्रति।

9 तलाकशुदा / परित्यक्ता महिला के बच्चों के प्रकरण में सामाजिक सुरक्षा पेंशन भुगतान आदेश (पी.पी.ओ. आदेश)।

📢 आवेदन का तरीका 📢

🖱 ई-मित्र द्वारा SSO पर लॉग इन के पश्चात SJE PALANHAAR पर आवेदन किया जा सकता हैं।

Back to Index

4. यूनिक डिसएबिलिटी आई.डी. कार्ड योजना

उददेश्य

भारत सरकार द्वारा लागू दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम (The Rights of Persons with Disabilities Act) 2016 के तहत निःशक्तता की 21 श्रेणियों के विशेष योग्यजनों के सशक्तिकरण एवं कल्याण हेतु उन्हें चिन्हित कर निःशक्तता प्रमाणीकरण का कार्य किया जा रहा है।

पात्रता

जिन व्यक्तियों को ब्लॉक सी.एम.एच.ओ./ पी.एम.ओ. के द्वारा निःशक्तता की जांच कर संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा निःशक्तता प्रमाण पत्र ऑनलाईन जारी किये गए हैं |

देय लाभ :

विशेष योग्यजनों के **पहचान पत्र** के रूप में इस्तेमाल होगा |

आवेदन की प्रक्रिया

- आवेदन हेतु ई-मित्र के माध्यम से निःशक्तता प्रमाणीकरण हेतु आवेदन करे |
- पंजीकृत विशेष योग्यजनों को ब्लॉक सी.एम.एच.ओ./ पी.एम.ओ. के द्वारा निःशक्तता की जांच कर संबंधित जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा निःशक्तता प्रमाण पत्र ऑनलाईन जारी किये जायेंगे।
- निःशक्तता प्रमाण पत्रों के डाटा को यू.डी.आई.डी. कार्ड जारी किये जाने हेतु भारत सरकार को भिजवाया जाता है।
- तत्पश्चात भारत सरकार द्वारा सीधे ही प्रार्थी के पते पर यू.डी.आई.डी. कार्ड डाक द्वारा प्रेषित किया जाता है।

Back to Index

5. राजस्थान न्यूमोकोनोसिस (सिलिकोसिस) नीति, 2019

राजस्थान न्यूमोकोनोसिस (सिलिकोसिस) नीति, 2019 को **राज्य फ्लैगशिप योजना** में शामिल किया गया है।

देय लाभ :

1. न्यूमोकोनोसिस (सिलिकोसिस) रोग के प्रमाणीकरण पर राशि रु 03.00 लाख
2. न्यूमोकोनोसिस (सिलिकोसिस) रोगी की मृत्युपरांत परिवारजनों को राशि रू02.00 लाख
3. न्यूमोकोनोसिस (सिलिकोसिस) पीडित को पेंशन राशि रू 1500 प्रति माह

न्यूमोकोनोसिस (सिलिकोसिस) विधवा पेंशन- (प्रतिमाह)

1. 55 वर्ष की आयु तक = रू 500
2. 55 वर्ष - 60 वर्ष की आयु = रू 750
3. 60 वर्ष - 75 वर्ष की आयु = रू 1000 एवं
4. 75 वर्ष से अधिक आयु = रू 1500

न्यूमोकोनोसिस (सिलिकोसिस) पीडित परिवार को पालनहार योजना में लाभ:-

1. 6 वर्ष की आयु तक के बच्चों को राशि रू 500 प्रतिमाह
2. 6 वर्ष से 18 वर्ष की आयु तक राशि रू 1000 प्रतिमाह

प्रत्येक बच्चे को 2000 रुपये की वार्षिक एकमुश्त सहायता

न्यूमोकोनोसिस (सिलिकोसिस) पीडित एवं उसके परिवार को आस्थाकार्डधारी परिवार के समान समस्त BPL सुविधाओं यथा NFSA आदि से लाभान्वित किया जाना।

आवेदन की प्रक्रिया

Silicosis.rajasthan.gov.in पर ई-मित्र के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं |

Back to Index

6. 🦠 मुख्यमंत्री कोरोना सहायता योजना🦠

📢योजना का उददेश्यः📢

कोरोना महामारी से अनाथ हुए बच्चों, विधवा महिलाओं एवं उनके बच्चों को राज्य सरकार द्वारा आर्थिक, सामाजिक एवं शैक्षणिक संबल प्रदान करना

🚦पात्रता🚦

क. योजनान्तर्गत जिला कलक्टर द्वारा प्रमाणन के आधार पर कोरोना बीमारी से मृत्यु होने पर अनाथ बालक / बालिका तथा विधवा महिला व उनके बच्चे अनुदान / आर्थिक / अन्य सहायता के पात्र होंगे।

ख. अनाथ बालक / बालिका / विधवा महिला व उसके बच्चे योजनान्तर्गत वर्णित अनुदान / आर्थिक सहायता के अतिरिक्त भारत सरकार व राज्य सरकार की अन्य योजनाओं के तहत लाभ के पात्र हो सकेंगें।

i. अनाथ बालक / बालिका व विधवा महिलाओं के बच्चे पालनहार योजना के तहत् आर्थिक सहायता के पात्र नहीं होंगे। पालनहार योजना में वस्त्र, पाठ्य पुस्तकें आदि के लिए दी जाने वाली राशि रूपये 2000/- प्रति वर्ष एक मुश्त देय होगी।

ii. कोरोना के कारण विधवा महिला कोरोना विधवा पेंशन के अलावा सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत पात्र नहीं होंगी।

ग. अनाथ बालक / बालिका तथा विधवा महिलाएँ राजस्थान राज्य के मूल निवासी हो अथवा कम से कम तीन वर्ष से राजस्थान राज्य में निवासरत हो।

घ. अनाथ बालक/बालिका तथा विधवा महिला के परिवार द्वारा कोरोना योद्धा योजना का लाभ प्राप्त करने की स्थिति में पात्र नहीं होंगे।

ड. अनाथ बालक/बालिका व विधवा के बच्चों के मृतक माता / पिता व विधवा के पति के राजकीय सेवा या राजकीय उपक्रम के स्थाई कार्मिक होने की स्थिति में वे राज्य योजना के लाभ के पात्र नहीं होंगे।

च. अनाथ बालक/बालिका व विधवा महिलाओं के बच्चों के लिए आंगनबाड़ी केन्द्र / विद्यालय में जाना आवश्यक होगा।

छ. विधवा महिला की कोरोना विधवा पेंशन निम्नांकित परिस्थितियों में निरस्त की जावेगी

1.1 विधवा महिला की स्वयं की राजकीय सेवा में नियुक्ति होने पर

1.2 विधवा महिला द्वारा पुनर्विवाह किये जाने पर।

ज. कोरोना के कारण हुई विधवा महिला के लिए अधिकतम आय तथा आयु की सीमा निर्धारित नहीं है।

देय लाभ

मुख्यमंत्री कोरोना बाल सहायता (अनाथ बालक/बालिका हेतु)

(अ.) आर्थिक सहायता

क. प्रत्येक बालक / बालिका की तत्काल आवश्यकता हेतु राशि रूपए 1,00,000/ (एक लाख रूपए) का एकमुश्त अनुदान (Ex-gratia) दिया जायेगा।

ख. प्रत्येक बालक / बालिका के 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक राशि रुपए 2500/- (दो हजार पांच सौ रूपए) प्रतिमाह प्रति बालक/बालिका प्रदान किये जायेंगे।

ग. प्रत्येक बालक / बालिका के 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर राशि रूपए 5.00.000/- (पांच लाख रूपए) की एकमुश्त सहायता दी जावेगी।

उपरोक्त राशि अनाथ बालक / बालिका के बैंक खाते में हस्तान्तरित की जावेगी।

(ब) शैक्षणिक / अन्य सहायता

क. कक्षा 12 तक निःशुल्क शिक्षा राजकीय आवासीय विद्यालय / छात्रावास / विद्यालय के माध्यम से दी जाएगी।

ख. कॉलेज में अध्ययन करने वाली छात्राओं को सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में प्राथमिकता से प्रवेश दिया जाएगा।

ग. कॉलेज में अध्ययन करने वाले छात्रों के लिये आवासीय सुविधाओं हेतु अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना का लाभ दिया जाएगा। इनकी पात्रता हेतु कोई अन्य शर्ते यथा जाति, आय इत्यादि लागू नहीं होगी।

घ. मुख्यमंत्री युवा संबल योजना के अन्तर्गत बेरोजगारी भत्ता दिए जाने में प्राथमिकता से लाभ दिया जाएगा।

मुख्यमंत्री कोरोना विधवा सहायता (विधवा महिला हेतु)

क. विधवा महिला को राशि रूपए 1,00,000/- (एक लाख रूपए) एकमुश्त अनुदान Ex-gratia दिया जाएगा।

ख. विधवा महिला को उसकी पेंशन हेतु पात्रता धारित करने की अवधि में आजीवन राशि रूपए 1500/- (एक हजार पांच सौ रूपए) प्रति माह पेंशन प्रदान की जाएगी।

मुख्यमंत्री कोरोना पालनहार सहायता (विधवा महिला के बालक/बालिका हेतु)

क. विधवा महिला के बालक/बालिका के 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक राशि रूपए 1000/- (एक हजार रूपए) प्रतिमाह प्रति बालक/बालिका दिया जाएगा।

Back to Index

ख. विधवा महिला के बालक/बालिका के 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने तक विद्यालय पौशाक, पाठ्य पुस्तकें आदि हेतु राशि रूपए 2000 / - (दो हजार रूपए) प्रति बालक / बालिका एकमुश्त वार्षिक अनुदान दिया जाएगा।

आवेदन प्रक्रिया / अनुदान स्वीकृतिः

जिला कलेक्टर द्वारा जिले में कोरोना महामारी से अनाथ हुए बच्चों, विधवा महिलाओं एवं उनके बच्चों का चिन्हीकरण करवाया जाएगा।

Back to Index

7. 🖋 मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना 🖋

🔰विभिन्न व्यवसायिक पाठ्यक्रमों में प्रवेश अथवा सरकारी नौकरी हेतु प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी के लिए SC/ST/OBC/MBC/EWS/minority वर्ग के आशार्थियों हेतु यह योजना लागू।

🌀कक्षा 11 एवं 12 में शैक्षणिक पाठ्यक्रम हेतु तथा महाविद्यालय के अंतिम दो वर्ष में रोजगार हेतु व्यवसायिक कोचिंग संस्थाओं के माध्यम से तैयारी कराई जाएगी।

✍पात्रता✍

🔯अभ्यर्थी राजस्थान का मूल निवासी हो।

🔯अभ्यर्थी के माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय(अभ्यर्थी की आय, यदि हो,को सम्मिलित करते हुए) 8 लाख रुपए से कम हो या जिनके माता-पिता राज्य सरकार के कार्मिक होने पर पे मैट्रिक्स L -11 तक का वेतन प्राप्त कर रहे हों।

🔯अभ्यर्थी द्वारा पूर्व में संचालित अनुप्रति योजना का लाभ नहीं लिया गया हो।

🔯 छात्र को योजना का लाभ एक बार ही देय है।

📖शैक्षणिक योग्यता👇

वित्त विभाग द्वारा जारी परिपत्र दिनांक 5-6-21के अनुसार(विस्तृत विवरण विभागीय वेबसाइट sje.rajasthan. gov.in पर उपलब्ध)

♻ दूसरे गाँव /शहर से आकर प्रतिष्ठित कोचिंग संस्थानों में कोचिंग करने पर आवासीय सुविधा हेतु 40,000 रुपए तक की अतिरिक्त वित्तीय सहायता देय।♻

आवेदन✍

ई-मित्र के माध्यम से SSO ID से sjms पोर्टल पर।

Back to Index

8. 🌀अम्बेडकर डीबीटी वाउचर योजना 2021🌀

♻️ अनुसूचित जाति-जनजाति, ओबीसी,एमबीसी,EWS वर्गों के कॉलेज छात्रों के लिए आवासीय सुविधा हेतु डीबीटी वाउचर से प्रति वर्ष 5000 छात्रों को लाभान्वित करने का लक्ष्य।

पात्रता 👦💼

📍छात्र राजस्थान का मूल निवासी हो।

📍 माता -पिता/अभिभावक की वार्षिक आय (छात्र की आय सम्मिलित करते हुए-यदि हो तो) SC/ST/MBC के लिए 2.50 लाख रुपए से अधिक न हो।

📍OBC के लिए 1.50 लाख रुपए से अधिक न हो।

📍EWS के लिए 1.00 लाख रुपए से अधिक न हो।

📖जिला स्तर पर स्थित राजकीय महाविद्यालय में शैक्षणिक पाठ्यक्रम में अध्ययनरत हो।

👦💼छात्र जिस जिले के महाविद्यालय में अध्ययनरत है ,उस नगर निगम/ नगरपरिषद्/ नगरपालिका का निवासी न हो।

▶️ योजना का लाभ छात्र को अधिकतम 5 वर्ष के लिए देय।

▶️देय लाभ

शिक्षण संस्थाओं से प्राप्त आवेदन पत्रों की ऑनलाइन स्वीकृति उपरान्त 2000/ रुपए प्रतिमाह(अधिकतम दस माह प्रति सत्र हेतु) का भुगतान विद्यार्थी के बैंक खाते में DBT के माध्यम से किया जाएगा।

▶️आवेदन पत्र की स्वीकृति सम्बंधित जिला अधिकारी द्वारा जिलेवार व वर्गवार लक्ष्यों के अनुरूप छात्र द्वारा गत वर्ष उत्तीर्ण प्राप्तांकों के आधार पर मैरिट के आधार पर की जाएगी।

📝दस्तावेज📝

- सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाण पत्र।
- सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जाति प्रमाण-पत्र।
- स्व घोषित आय प्रमाण पत्र की प्रति

Back to Index

- अभ्यर्थी के जनाधार कार्ड, आधार कार्ड की प्रति
- अभ्यर्थी को अपने स्वयं के बैंक का नाम, खाता संख्या, बैंक आईएफएससी कोड, बांच का नाम ऑन लाईन आवेदन पत्र में करना होगा।
- जिला स्थित राजकीय महाविद्यालय में नियमित अध्ययनरत् होने का प्रमाण पत्र।
- स्व-प्रमाणित किराये के मकान का प्रमाण-पत्र / किराये के रसीद की प्रति।
- गत वर्ष उत्तीर्ण कक्षा की अंकतालिका की प्रति ।

आवेदन

आवेदन विभाग द्वारा विज्ञप्ति जारी करने पर इच्छुक छात्र ई- मित्र /SSO आईडी के द्वारा पोर्टल SJMS पर जनाधार के माध्यम से कर सकते हैं।

Back to Index

9. मुख्यमंत्री कन्यादान योजना

पात्रता

1 इस योजना के अन्तर्गत सहायता केवल राजस्थान राज्य के मूल निवासियों को ही दी जा सकेंगी।

2 इस योजना के आवेदक विवाह योग्य कन्या के माता पिता/ संरक्षक होगे।

3 यह योजना केवल 18 वर्ष या अधिक आयु की किन्ही 2 कन्या सतानों के विवाह हेतु ही लागू होगी।

4 सभी वर्गों के बीपीएल परिवारों की कन्याओं के विवाह पर|

5 अन्त्योदय परिवार आस्था कार्डधारी परिवार आर्थिक दृष्टि से कमजोर महिलाओं, विशेष योग्यजन व्यक्तियों, पालनहार में लाभार्थियों की कन्याओं के विवाह पर

6 महिला खिलाडियों के स्वयं के विवाह पर

7 इस योजनान्तर्गत आर्थिक दृष्टि से ऐसी कमजोर विधवा महिलाओं की पुत्रियों के विवाह हेतु अनुदान के लिये पात्रता निम्नानुसार होगी

I. महिला जिसके पति की मृत्यु हो गई हो तथा उसने पुनर्विवाह नहीं किया है।
II. विधवा की वार्षिक आय हर स्त्रोत से 50,000 रूपये वार्षिक से अधिक नहीं हो।
III. परिवार में 25 वर्ष व इससे अधिक आयु का कोई कमाने वाला सदस्य परिवार में नहीं हो।

8 ऐसी विवाह योग्य कन्या, जिसके माता पिता दोनों का देहान्त हो चुका है तथा उसकी देखभाल करने वाली संरक्षक उक्त वर्णित अनुसार पात्रताधारक विधवा महिला द्वारा आवेदन किया जा सकता है।

9 ऐसी विवाह योग्य कन्या जिसके माता पिता दोनो कोई भी जीवित नहीं है तथा परिवार के किसी भी सदस्य की आय रुपये (50 हजार वार्षिक से अधिक नहीं है के विवाह किसी सरक्षक द्वारा आवेदक द्वारा आवेदन किया जा सकेगा।

10 जिन कन्या सतानों के विवाह हेतु राज्य सरकार के द्वारा पूर्व में संचालित सहयोग योजना अथवा विधवा पुत्री के विवाह हेतु सहायता अनुदान राशि प्राप्त की जा चुकी है, उन कन्या सतानों को भी इस नवीन योजना में अधिकतम संतानों की गिनती में सम्मिलित माना जायेगा।

▶ देय लाभ

देय सहायता राशि का विवरण :—

क. सं.	पात्रता	हथलेवा राशि	प्रोत्साहन राशि	कुल राशि
1.	अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति / अल्पसंख्यक वर्ग के बीपीएल परिवारों की 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की कन्याओं के विवाह पर देय सहायता राशि का विवरण	31,000 / —	—	31,000 / —
		31,000 / —	10,000 / — (10वी पास कन्या)	41,000 / —
		31,000 / —	20,000 / — (स्नातक पास कन्या)	51,000 / —
2.	अनुसूचित जाति / अनुसूचित जन जाति / अल्पसंख्यक वर्ग के बीपीएल परिवारों को छोडकर शेष सभी वर्गो के बीपीएल परिवारों, अन्त्योदय परिवार, आस्था कार्डधारी परिवार, आर्थिक दृष्टि से कमजोर विधवा महिलाओं, की 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की कन्याओं के विवाह पर देय सहायता राशि का विवरण	21,000 / —	—	21,000 / —
		21,000 / —	10,000 / — (10वी पास कन्या)	31,000 / —
		21,000 / —	20,000 / — (स्नातक पास कन्या)	41,000 / —
3.	विशेष योग्यजन व्यक्तियों की 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की कन्याओं के विवाह पर देय सहायता राशि का विवरण	21,000 / —	—	21,000 / —
		21,000 / —	10,000 / — (10वी पास कन्या)	31,000 / —
		21,000 / —	20,000 / — (स्नातक पास कन्या)	41,000 / —
4.	महिला खिलाडियों के स्वयं के विवाह पर	21,000 / —	—	21,000 / —
		21,000 / —	10,000 / — (10वी पास कन्या)	31,000 / —
		21,000 / —	20,000 / — (स्नातक पास कन्या)	41,000 / —
5.	पालनहार में लाभार्थियों वे कन्याएं जो 18 वर्ष या इससे अधिक आयु की कन्याओं के विवाह पर देय सहायता राशि का विवरण	21,000 / —	—	21,000 / —
		21,000 / —	10,000 / — (10वी पास कन्या)	31,000 / —
		21,000 / —	20,000 / — (स्नातक पास कन्या)	41,000 / —

आवेदन

आवेदन विभाग द्वारा विज्ञप्ति जारी करने पर इच्छुक छात्र ई- मित्र /SSO आईडी के द्वारा पोर्टल SJMS पर जनाधार के माध्यम से कर सकते हैं।

10. मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन स्वरोजगार योजना

इस योजना के अन्तर्गत राज्य के ऐसे विशेष योग्यजनों को जिनकी स्वयं की एवं परिवार की वार्षिक आय 2.00 लाख रुपये तक है, स्वयं का स्वरोजगार प्रारम्भ करने के लिये 5.00 लाख रुपये तक की राशि ऋण के रूप में विभिन्न बैंकों के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाती है जिस पर ऋण राशि का 50 प्रतिशत या अधिकतम 50 हजार जो भी दोनों में कम हो रूपये अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है।

पात्रता

1 भारत सरकार द्वारा लागू दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम (The Rights of Persons with Disabilities Act) 2016 के प्रावधानों के अनुसार विशेष योग्यजन होना चाहिये। जिसकी निःशक्तता का प्रतिशत 40 या अधिक होना चाहिये।

2 आवेदक राजस्थान का मूल निवासी 3 आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष एवं अधिकतम 55 वर्ष हो।

4 आवेदक के परिवार की समस्त स्त्रोतों से वार्षिक आय 2.00 लाख रूपये से अधिक न हो।

5 आवेदक द्वारा पूर्व में कियोस्क योजना अथवा अन्य किसी योजना में स्वरोजगार व्यवसाय योजना के अन्तर्गत सब्सिडी आदि का लाभ नही लिया गया हो।

6 आवेदक पर किसी भी बैंक, सहकारी अथवा अर्द्ध सरकारी संस्था का अवधि पार ऋण बकाया नहीं हों।

7 आवेदक का निःशक्तता परिचय पत्र व पासबुक बनी हुई होनी चाहिये।

देय लाभ :

स्वयं का स्वरोजगार प्रारम्भ करने के लिये **5.00 लाख रुपये तक की राशि** ऋण के रूप में विभिन्न बैंकों के माध्यम से उपलब्ध करवाई जाती है जिस पर ऋण राशि का 50 प्रतिशत या अधिकतम 50 हजार जो भी दोनों में कम हो रूपये अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है।

आवेदन

आवेदन के किसी भी ई-मित्र अथवा राज्य एस.एस.ओ पोर्टल www.sso.rajasthan.gov.in के 'SJMS DSAP के माध्यम से आवेदन वाछित दस्तावेजों सहित करना होगा।

Back to Index

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राजस्थान

⌨️ वेबसाईट: sje.rajasthan.gov.in

☎️ हैल्पलाईन नं 1800 180 6127

🖥️ ई-मेल: raj.sje@rajasthan.gov.in